

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री चरन सेफ वर्क्स प्रा०लि०, 6-ए इण्डस्ट्रियल स्टेट ,
कानपुर ।

प्रा०प०सं०- 317/2008

प्रार्थी की ओर से- कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **Wooden & Steel/Iron Furniture ,Almiraha,Cash Box,Safe,Book Case** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वस्तुओं पर अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः धारा-59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय रूप से किया जा रहा है।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का परिशीलन किया। **Wooden & Steel/Iron Furniture ,Almiraha,Cash Box,SafeBookCase**.वैट अधिनियम कीअनुसूची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

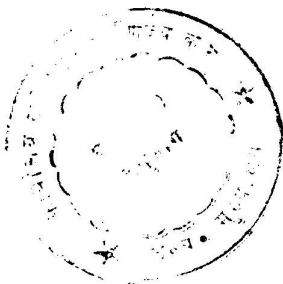
दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह० 11.8.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।



स. स. प्र. 1
दिनांक 11 अगस्त 2008
लखनऊ